

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कौट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 है०)

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.398 हे० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये - 60,000 प्रति हे० है, तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु०-^{23880.00}~~19900.00~~ होता है।

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार

उप जिलाधिकारी

चिन्यालीसौड़

चिन्यालीसौड़

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी
उत्तरकाशी

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27, 47 (क), 75 एवं 340 (क) के अधीन कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 की विनियमिता संख्या: एसओआर0 2114/ग्यारह-97-1306/95 दिनांक 08 जुलाई 1997 के अधीन विज्ञापित सम्पत्ति नियमावली के नियम 04 के अधीन भूमि के दरों का द्विवार्षिक निर्धारण दिनांक 01.04.2012 को किया गया था, जिसका पुर्ननिर्धारण किया जाना आवश्यक है। अतः अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या: 289/2014/xxvii(09)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28 अक्टूबर 2014 एवं महानिरीक्षक निजामधन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या: 566/मोनि0नि0/2014-15 दिनांक 30 अक्टूबर 2014 में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मैं सी0 एचओ, उत्तराखण्ड उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिले के नगरीय, अर्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सिंचित/असिंचित/अकृषिक भूमि के मूल्यांकन की दरें बहुमंजलीय आवासीय भवनों, वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की दरों एवं फलतः/अफलतः इमारतीय प्रयोजनों के क्रय-विक्रय की दरें संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.11.2014 से अग्रेतर दो वर्षों के लिये दिनांक 01.11.2016 तक लागू होंगी।

नोट:-

1. जनपद की सिविल सोयम की बंजर भूमि/वन भूमि की दरें रुपये- 1200.00 प्रति नाली निर्धारित की जाती है ये दरें केवल एक विभाग से दूसरे विभाग को भूमि हस्तांतरण के मामलों में लागू होंगी।
2. मोटर मार्ग से तात्पर्य उन सड़कों से है जहाँ पर बस सेवा नियमित रूप से चालू है तथा पूर्ण रूप से निर्मित हो चुकी है। प्रस्तावित/निर्माणाधीन सड़कों में आने वाली भूमि की दरें ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित भूमि की दरों के समान मानी जायेगी।
3. शासनादेश संख्या: 230/सत्ताईस(9)/2007 दिनांक 18 सितम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अनुसार में समस्त तहसीलों के मुख्य मार्गों पर पडने वाले खसरा नम्बरों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। यदि भविष्य में खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिये सम्बन्धित तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. जनपद में औद्योगिक आस्थानों एवं गंगोत्री विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के अन्तर्गत पृथक विभागीय दरें निर्धारित नहीं है। आवास विकास विभाग एवं उद्योग विभाग से पृथक से दरें प्राप्त होने पर सम्मिलित की जायेगी।

“ उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थानों/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अधिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा।”

संलग्नक:- यथोक्त सूची

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-09 देहरादून।
2. आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. महानिरीक्षक निबन्धक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
5. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।
6. भू-अध्यापति अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. उप निबन्धक, उत्तरकाशी/बडकोट/पुरोला।

(सी० रविशंकर)

कलेक्टर,
उत्तरकाशी।

कलेक्टर,
उत्तरकाशी।